



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-1597/ रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, नवम्बर, 13, 2019
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:-
1-क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 02.07.2019/08.08.2019
2-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./241 दिनांक- 14.08.2019
3-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./270 दिनांक- 28.08.2019
4-उप सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, का पत्र संख्या- भा०स० 125/81-2-2019-800(18)/2017 लखनऊ दिनांक- 02.09.2019
5-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या- 431/11-सी-एफ०पी०/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक- 29 अगस्त, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 08.08.2019 की कार्यवाही तथा संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण कर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के अनुपालन में वांछित सूचना/अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

S. No.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र दिनांक- 14.08.2019 व संशोधित पत्र दिनांक-28.08.2019 में अंकित विवरण/शर्त	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3

1	Dated:-14.08.2019 The State Government should submit undertaking along with the detailed estimate for raising of compensatory afforestation over 1295 ha. Non forest land and enrichment plantation as required along with KML files Geo-referenced maps toposheets and site suitability certificates of the selected site from concerned DFO's Dated:-28.08.2019 As per the recommendation of the Committee appointed by Hon'ble NGT in OA no. 521/2014. Compensatory afforestation on degraded forest land equal to double the forest area (980.40) released for Kanhar Iffigation Project by the Central Government was to be raised, Out of 2x980.40 ha. 666 ha has already been planted and a shceme of afforestation on degraded Forest land for balance 1294.80 ha or 1295 ha is to be submitted/implemented by the State Government .	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग में 800 हे० अवनत वन भूमि एवं Enrichment वनीकरण हेतु 666 हे० (पूर्व में वृक्षारोपित क्षेत्र) प्रस्तावित किया गया है तथा ओबरा वन प्रभाग में 495 हे० अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया है । चयनित क्षेत्रों से संबंधित जीओ रेफरेन्स मानचित्र एवं टोपोशीट व व्यय अनुमान पत्र की 4 प्रतियों संलग्न है ।
---	---	--

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

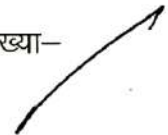
भवदीय


(एम०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र
- 2-अधिसांसी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र को उनके पत्र संख्या- 738/क०नि०ख०-३पि०/ दिनांक- 31.10.2019 के क्रम में ।


(एम०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट